

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

कार्यालय हाजा के आदेशांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-1/वरिष्ठ वेतनमान/10932/बो.2/05 दिनांक 26.05.2005 के द्वारा श्री गोपाल लाल जोशी, व्याख्याता अंग्रेजी को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 31.03.2004 से वरिष्ठ वेतनमान-12(ए) (7500-250-12000) स्वीकृत किया गया था।

उपरोक्त आदेश के उपरान्त श्री गोपाल लाल जोशी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एसबी सिविल याचिका संख्या 4819/2005 (अन्तर्गत अवमानना याचिका संख्या 206/2017) गोपाल लाल जोशी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल याचिका संख्या 4819/2005 गोपाल लाल जोशी बनाम राज्य सरकार प्रकरण में निर्णय दिनांक 05.12.2014 पारित कर निम्न निर्देश प्रदान किये गये:-

" Accordingly, this writ petition is allowed. The respondents are directed to treat the order dated 13.3.1989 as an order of regular promotion to the petitioner as Lecturer, School Education. He is declared entitled for getting selection grade on completion of 10 years of service from the date he joined duties in pursuant to the order dated 13.3.1989. The petitioner shall be entitled for all the arrears accruing consequent to the fixation required to be made in terms of the directions given above. The entire exercise be completed within a period of three months from the date of receipt of copy of this order. A copy of the order be supplied to the counsel for the parties forthwith. No order as to costs."

उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी गोपाल लाल जोशी द्वारा अभ्यावेदन देकर स्कूल प्राध्यापक के पद पर नियमित पदोन्नत मानते हुए चयनित वेतनमान दिये जाने की मांग की गई। अतः माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 05.12.2014 की पालना में श्री गोपाल लाल जोशी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, अंग्रेजी को विभागीय नियमानुसार वरिष्ठ वेतनमान दिनांक 24.04.1999 से वेतनमान 7500-12000 एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

सम्बन्धित सभी पक्षकार सूचित होंगे।

(काना राम)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

शिविरा/माध्य/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/अवमानना याचिका/206/2017/गोपाल लाल जोशी
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान-राउमावि/राबाउमावि
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
6. कार्यालय हाजा विधि अनुभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक
9. गार्ड फंजिका

दिनांक: 18/9/23

सत्यमेव जयते

(काना राम)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.09.18 22:10:31 IST

Reason: Approver

RajKaj Ref No. : 4745610

